

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 521 / 2012 / हनुमानगढ़.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स रौनकराम, नगन्नाथ, संगरिया, हनुमानगढ़.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा, उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी.सी.सोगानी, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 25 / 09 / 2018

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 251/आरएसटी/श्रीगंगानगर/10-11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 23.06.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2000-01 के लिये राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 29, 65 व 58 के तहत पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.01.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील को स्वीकार किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर विभाग को यह शिकायत प्राप्त हुई कि श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में माल के भौतिक हस्तान्तरण के बिना बोगस फर्मों से बोगस बिलों का लेन-देन किया जा रहा है और इन बोगस बिलों से करदत्त माल के पेटे अपंजीकृत व्यवहारियों से खरीद किये गये कर योग्य माल के विरुद्ध समायोजन लिया जाता है। माल के पेटे दिखाया गया भुगतान बैंक में कैश जमा करवाकर विक्रेता व्यवहारी को चैक जारी किया जाता है, तत्पश्चात् विक्रेता व्यवहारी के सेल्फ के चैकों से यह राशि उसी दिन नगद रूप में वापस निकाल ली जाती है। इस प्रकार एक ही राशि को विभिन्न दिनांक में बार-बार जमा करवाकर विक्रेता व्यवहारी को एकाउण्ट पेई चैक दिये जाते हैं। बैंक खातों के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि ये केवल वित्तीय लेन-देन है। बोगस बिल जारी करने वाली फर्में मैसर्स बजरंग राय विनोद कुमार, श्रीगंगानगर; मैसर्स मोहित ट्रेडिंग कम्पनी, श्रीगंगानगर; मैसर्स शंकर ट्रेडिंग कम्पनी, संगरिया; मैसर्स बंधु ट्रेडर्स, संगरिया; मैसर्स नारायण ट्रेडिंग कम्पनी, संगरिया; मैसर्स महालक्ष्मी ट्रेडर्स, संगरिया आदि एवं उक्त बिलों को लेने वाली प्रत्यर्थी फर्में मैसर्स राजेश कुमार राजेन्द्र कुमार हनुमानगढ़ व मैसर्स लूणाराम राजेन्द्र कुमार संगरिया तथा अन्य फर्में मैसर्स रौनकराम जगन्नाथ, संगरिया एवं अन्य फर्में शामिल हैं। उक्त व्यवसायियों का सर्वेक्षण किये जाने पर पाया गया कि उक्त व्यवसायियों द्वारा आलौच्य अवधि में मैसर्स बजरंग राय विनोद कुमार श्रीगंगानगर; श्री शंकर ट्रेडिंग कम्पनी, संगरिया; मैसर्स बंधु ट्रेडर्स,

निरन्तर.....2

संगरिया व मैसर्स मोहित ट्रेडिंग कम्पनी, श्रीगंगानगर से क्रय संव्यवहार दर्शाये गये हैं।

3. इस प्रकार यह पाये जाने पर कि उक्त व्यवसायियों द्वारा वास्तविक रूप से माल की खरीद अपंजीकृत व्यवसायियों से की गयी है, किन्तु करापवंचन की नियत से माल को करदत्त बताने के लिये बोगस फर्माँ से माल के बिल प्राप्त कर पंजीकृत व्यवसायियों से माल का क्रय करना बताकर कर योग्य माल कर चुकाकर बताये जाने का प्रयास किया गया है। उक्त जांच के आधार पर वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा ऐसा साबित करने पर कि व्यवसायी द्वारा क्रय संव्यवहार भौतिक रूप से नहीं किये गये, अपितु केवल बिल प्राप्त कर उनके भुगतान का लेखा जोखा बैंकों में दर्शाकर करापवंचन करने का प्रयास किया है व्यवसायी के विरुद्ध अभियोग बनाकर करापवंचित विक्रय पर कर, शास्ति एवं ब्याज का आरोपण कर दिनांक 30.06.2003 को आदेश पारित किया गया जिसके विरुद्ध व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30.11.2006 को पुनः जांच एवं सुनवाई कर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया था। अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने पुनः दिनांक 29.01.2010 को आदेश पारित किये जिसमें प्रत्यर्थी व्यवहारियों की समस्त खरीद के संव्यवहारों को अविधिक एवं बोगस मानते हुए माल कर चुका (Tax Paid) नहीं मानकर उस पर कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया। पुनः पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.01.2010 के विरुद्ध व्यवहारी द्वारा अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने अपीलें इस विधिक आधार पर स्वीकार की कि दिनांक 30.11.2006 को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर जांच हेतु जो निर्देश दिये थे उसकी पालना नहीं की गयी एवं इसी तरह के समान तथ्यों पर माननीय राजस्थान कर बोर्ड एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णयों में क्रेता व्यवहारी का कर दायित्व नहीं माना गया है। अपीलीय आदेश से क्षुब्ध होकर राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी।

5. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश का समर्थन करते हुए, अपीलीय आदेश को अपास्त करने एवं राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए इन्हीं तथ्यों एवं उन्हीं तथाकथित बोगस संव्यवहार करने वाली फर्माँ से खरीद किये गये माल पर कर दायित्व नहीं होने का निर्णय मैसर्स सरावगी रोलर फ्लोर मिल्स (प्राठ) लिमिटेड, श्रीगंगानगर (2004) 9 टैक्स अपडेट 41 एवं उस निर्णय की पुष्टि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सिविल रिविजन नं० 481/2004 निर्णय दिनांक 13.7.2005 न्यायिक दृष्टान्त (2005) 13 टैक्स अपडेट 134 में की जाने का कथन कर अपीलीय आदेश को माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश से कवर्ड होना बताया। साथ ही उन्होंने हाल में माननीय कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय 522/2012 सीटीओ बनाम मैसर्स लूणाराम, राजेन्द्र कुमार व 523/2012 सीटीओ बनाम मैसर्स राजेश कुमार राजेन्द्र कुमार निर्णय दिनांक

21.06.2018 को उद्धरित करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

8. राजस्व द्वारा उक्त प्रकरण में करापवंचन सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होने पर अभियोग स्थापित किये गये हैं, जिनमें कुछ पंजीकृत व्यवहारियों द्वारा उक्त प्रत्यर्थी व्यवहारी को जारी बिल बोगस मानते हुए यह अवधारित किया गया कि इन व्यवसायियों ने करवंचना के उद्देश्य से पंजीकृत व्यवसायियों से भौतिक रूप से माल की खरीद ही नहीं की है बल्कि केवल करवंचना के उद्देश्य से, कर योग्य माल को करदत्त (S.T. Paid) बताने के लिये बिल ही प्राप्त किये गये हैं एवं बैंकों के जरिये लेन-देन भी केवल इन संव्यवहारों की पुष्टि हेतु ही किये गये हैं जबकि उसमें नगद रकम को जमा कराकर चैक देकर पुनः नगद राशि प्राप्त कर ली गयी है।

9. प्रत्यर्थी की ओर से विभाग द्वारा ही तत्समय समान तथ्यों पर अन्य फर्मों के विरुद्ध बनाये गये अभियोग में पारित आदेश को कर बोर्ड द्वारा अपास्त करने का दृष्टान्त पेश किया गया है उसका अध्ययन करने पर पाया कि उस प्रकरण में भी इन्हीं संदिग्ध विक्रेता फर्मों मैसर्स बजरंग राय विनोद कुमार, श्रीगंगानगर; मैसर्स मोहित ट्रेडिंग कम्पनी, श्रीगंगानगर एवं मैसर्स नारायण ट्रेडिंग कम्पनी, संगरिया के बिलों को अस्वीकार कर, कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपित की गयी थी, उन आदेशों को कर बोर्ड के निर्णय मैसर्स सरावगी रोलर फ्लोर मिल्स (प्रा0) लिमिटेड, श्रीगंगानगर निणय दिनांक 26.4.2004 (2004) 9 टैक्स अपडेट 40 में खारिज किया गया है।

10. उक्त निर्णय के तथ्य एवं परिस्थितियां हस्तगत प्रकरणों में हूबहू हैं एवं कर बोर्ड के उक्त आदेश अनुसार द्वितीय विक्रेता पर करारोपण अविधिक माना गया है एवं प्रथम पंजीकृत व्यवसायी पर ही करदायित्व माना है। कर बोर्ड के उक्त आदेश की पुष्टि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सिविल रिविजन संख्या 481/2004 व अन्य सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स सरावगी रोलर फ्लोर मिल्स प्रा0 लि0 के निर्णय दिनांक 13.07.2005 न्यायिक दृष्टान्त 13 टैक्स अपडेट 134 में की जा चुकी है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :-

"The learned Tax Board has found that material on record establishes that the registration of the seller has been subsisting upto 21.01.2001, and was subsequently cancelled with retrospective effect. Likewise, the registration of one of the seller was cancelled on 31.03.2002, While that of the other two dealers was cancelled on 27.03.2002, and therefore, in view of the judgment of Hon'ble the Supreme Court in **State of Maharashtra vs. Suresh Trading Co. (1998) 109 STC 439**, it is lawful for the purchaser to enter into transaction relying on the validity of the registration. Regarding withdrawal of the amounts from the bank, it was found to be valid act on the part of the account holders. Similarly, it was found that the assessee had purchased goods from M/s. Bajranglal Vinod Kumar against declaraitons ST-17, and therefore, if any action was required to be taken, it was required to be taken against the sellers, regarding registration of the vehicles, it was found that the registering authority

had certified the existence of registration of the concerned vehicles. Then, bonafied endorsements of Krishi Upaj Mandi Samiti were also found on the certain bills. Interalia, on this basis it was found that it cannot be said that the assessee had purchased the goods from the unregistered dealer."

11. हस्तगत प्रकरण के तथ्य माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक निर्णयों के तथ्यों से पूर्णतया समान हैं तथा विक्रय संव्यवहार भी उन्हीं विक्रेताओं के थो जो इस प्रकरण में विवादित हैं। इस प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में अपास्त किया गया है प्रत्यर्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उद्धरित माननीय कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय 522/2012 सीटीओ बनाम मैसर्स लूणाराम, राजेन्द्र कुमार व 523/2012 सीटीओ बनाम मैसर्स राजेश कुमार राजेन्द्र कुमार निर्णय दिनांक 21.06.2018 के तथ्य हस्तगत प्रकरण के समान होने से अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.06.2011 में किसी तरह का हस्तक्षेप किया जाना अविधिक है।
12. परिणामस्वरूप अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती हैं एवं अपीलीय आदेश दिनांक 23.06.2011 की पुष्टि की जाती है।
13. निर्णय सुनाया गया।


 (मदनलाल मालवीय)
 सदस्य